राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 14 / 2024 दायर तारीख 23.01.2024

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....वादी

बनाम्

01. अनिलकुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.....प्रतिवादी

–:उपस्थित :–

1. पैरोकार तहसीलदार। .....अधिवक्ता वादी
2. श्री मुकेश धाकड़ .....अधिवक्ता प्रतिवादी।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :–07 /07/ 2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार बिजौलिया ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि ग्राम गुढा पटवार मण्डल गुढा भू.अभि.निरिक्षक कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 02 में अंकित खसरा नम्बर 196/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर प्रतिवादी द्वारा कृषि कार्य नहीं किया गया। उक्त वर्णित 196/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर अवैध खनन किया है। वर्तमान में मौके पर पत्थर कटा हुआ है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं लिया गया। प्रतिवादी वादी द्वारा अकृषी कार्य किया गया । प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादी की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें। तहसीलदार बिजौलियां ने वाद पत्र के साथ भू.अभि.नि. कांस्या एवं पटवारी गुढा का संयुक्त मौका पर्चा , उक्त आराजी की जमाबंदी नकल आधार संवत् 2076 –2079 ,नक्शा ट्रैस, गुगल इमेज , जी.पी.एस. फोटोग्राफ पेश किए जो संलग्न पत्रावली है।

वादपत्र दिनांक 23.01.2024 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। जिनको शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी की और से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब में बताया गया खातेदार ने अवैध खनन नहीं किया है उक्त विवादित भूमि दिनांक 15.02.2016 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के तत्कालीन खातेदार से क्रय की गई, वादग्रस्त आराजी नम्बर 196/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर के साथ आराजी नम्बर 197 रकबा 0.4532 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 198/1 रकबा 0.3399 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 0.9631 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। जिस वक्त प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि क्रय की गई उस वक्त वादग्रस्त आराजी संख्या 196/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर में खद्दा होकर पानी भरा हुआ था। जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन खातेदार द्वारा कहा गया कि उक्त फार्म पोण्ड होकर इससे कयशुदा भूमि सम्पूर्ण पर कृषि कार्य हेतु पोण्ड/तालाब से अन्य आराजी नम्बर 197,198/1 में निरन्तर सिंचाई कर कृषि कार्य कर सिंचाई करता आ रहा है एवं प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि का कृषि उपयोग

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

किया जा रहा है। साथ ही प्रतिवादी ने अपने जवाब में बताया की पटवार हल्का गुढ़ा द्वारा जो मौका पर्चा कायम किया गया है। प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर अवैध खनन नहीं किया गया है। सम्बंधित राजस्व कार्मिकों द्वारा कायम किया गया मौका पर्चा मनगढ़त गलत एवं निराधार होकर बेबुनियाद है। उक्त मौका पर्चा राजस्व कमियों द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना किये बिना, प्रतिवादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये, प्रतिवादी की अनुपस्थिति में कायम किया गया है जो काबिल खारिज योग्य है। बिजौलियां में बारिश कम होने से खेत पर तालाब की आवश्कता रहती है इसलिए भूमि के एक हिस्से पर तालाब का निर्माण किया गया। प्रतिवादी का जवाब पेश होने पर पत्रावली का तनकी के स्तर पर रखा गया । पत्रावली में तनकी कायम की गई।

तनकी नम्बर 01 आया किः– भूमि पर मौके पर फसल काश्त नहीं है। होकर अवैध खनन होकर पत्थर कटा हुआ होकर पानी भरा हुआ है। .....जिम्मेवादी

तनकी नम्बर 02 आया किः– भूमि पर मौके पर फसल काश्त नहीं है। होकर अवैध खनन होकर पत्थर कटा हुआ होकर पानी भरा हुआ है। .....जिम्मेवादी

तनकी नम्बर 03 आया किः– खातेदार ने खातेदारी अधिकारों का पालन नहीं किया.....जिम्मेवादी

तनकी नम्बर 04 आया किः– वाद ग्रस्त भूमि का मौका पर्चा मनगढ़त है। .....जिम्मेप्रतिवादी

तनकी नम्बर 05 आया किः– प्रतिवादी द्वारा मौका पर फसल काश्त की जा रही है।..... जिम्मेप्रतिवादी

तनकी नम्बर 06 आया किः– प्रतिवादी द्वारा मौका पर किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया गया।. ..... जिम्मेप्रतिवादी

तनकी नम्बर 07 आया किः– प्रतिवादी द्वारा खातेदारी शर्तों की पालना की गई ..... जिम्मेप्रतिवादी

पत्रावली को साक्ष्यवादी के स्तर पर रखा गया। वादी की ओर से चन्द्रसिंह भू.अभि.निरिक्षक कांस्या के बयान लेखबद्व किए गए जिसमें गवाह ने बताया की विवादित आराजी का मौका पर्चा मेरे द्वारा बनाया गया जिसमें अंकित तथ्य सही है। पत्रावली को जिरह साक्ष्यवादी में रख गया । पत्रावली में अधिवक्ता मुकेश धाकड़ द्वारा जिरह की गई जो शामिल पत्रावली है। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया की उनकी द्वारा मौका पर्चा बनाने से पूर्व खातेदार को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। वादग्रस्त आराजी ने बरसात का पानी भरा हुआ है। पत्रावली को साक्ष्यप्रतिवादी में रखा गया। प्रतिवादी अनिल कुमार धाकड के बयान लेखबद्ध किए जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी ने बयान में वही बातें दोहराई जो जवाब दावे में लिखी गई थी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रतिवादी के बयानों पर किसी प्रकार की जिरह नहीं की गई। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बहस में बताया की विवादित आराजी के पास में ऐरू नदी निकल रही है जिसके कारण बरसात का पानी विवादित आराजी की मिट्टी बहाकर ले गया। एवं उक्त आराजी क्षेत्र पठारी होने के कारण पत्थर दिखाई देने लगे हैं। साथ ही खरीफ की फसल के वक्त काश्तकार को सिंचाई के लिए पानी की आवश्कता रहती है क्योंकि विवादित आराजी के पास ही काश्तकार की अन्य खातेदार भूमि है। इसलिए काश्तकार द्वारा उक्त खसरे में खेत तालाब का निर्माण किया गया। काश्तकार इस कृषि तालाब के पानी का उपयोग खरीफ की फसल में करता ।

तनकी नम्बर 01 आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई।
तनकी नम्बर 02 आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई।
तनकी नम्बर 03 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई।
तनकी नम्बर 04 आंशिक रूप में वादी के पक्ष में निर्णित की गई।
तनकी नम्बर 05 आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई।
तनकी नम्बर 06 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई।
तनकी नम्बर 07 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार एवं विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं साक्ष्य/दस्तावजों का अध्ययन/मनन किया गया। वादि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अध्ययन/मनन किया गया । वादि द्वारा वाद पत्र के साथ पेश दस्तावेजों का अध्ययन

लगातार पेज संख्या 03

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया गया। वादी–प्रतिवादी की और से पेश बयानों का अध्ययन मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन करने एवं मनन करने के पत्रावली के सभी दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए पत्रावली में गुणावगुण/मेरिट के आधार पर आदेश पारित किए जाते हैं कि:–

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल गुढ़ा भू.अभि.निरिक्षक कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 02 में अंकित खसरा नम्बर 196/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर प्रतिवादी द्वारा काश्तकारी के नियमों की अवहेलना नहीं की गई। काश्तकार द्वारा अवैध खनन नहीं किया गया। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 196/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर अकृषी कार्य होना नहीं पाया गया। खातेदार द्वारा विवादित खसरे पर कृषी कार्य हेतु कृषी तालाब का निर्माण किया गया। **अतः वाद पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाता है** । डिक्री मूर्तिब हो। तहसीलदार बिजौलियां को सूचनार्थ तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 07/07/**2025** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 14 / 2024 दायर तारीख 23.01.2024

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)। .....डिक्रीदार।

बनाम्

01. अनिलकुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.....मदयून ।

–:उपस्थित :–

1. पैरोकार तहसीलदार। .....डिक्रीदार।
2. श्री मुकेश धाकड़ .....मदयून।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

डिक्री दिनांक 07 / 07 / 2025

–:डिक्री:–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता मुकेश धाकड़ के समक्ष उपस्थित में डिक्री दी जाती है कि :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल गुढ़ा भू.अभि.निरिक्षक कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 02 में अंकित खसरा नम्बर 196 / 1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर प्रतिवादी द्वारा काश्तकारी के नियमों की अवहेलना नहीं की गई। काश्तकार द्वारा अवैध खनन नहीं किया गया। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 196 / 1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर अकृषी कार्य होना नहीं पाया गया। खातेदार द्वारा विवादित खसरे पर कृषी कार्य हेतु कृषी तालाब का निर्माण किया गया। **अतः वाद पत्र अस्वीकार / खारिज किया जाता है** । डिक्री मूर्तिब की गई। तहसीलदार बिजौलियां को सूचनार्थ तहरीर जारी हो।

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज **की तारीख से** तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह वर्ष 2025 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

पेज संख्या 02

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–	–	स्टाम्प अरजीदया	–	–
स्टाम्प वकीलात नामा	–	–	स्टाम्प वकीलात नामा	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	स्टाम्प वजह सबूत	–	–
महनताना वकील ( )	–	–	महनताना वकील ( )	–	–
खर्चा गवाह	–	–	खर्चा गवाह	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	–	बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुनफरिक	–	–	मुनफरिक	–	–
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां